रीडर
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

8-5-23	पत्रावली महंगाई राहत कैम्प एंव प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 ग्राम पचायंत भादू मे पेश हुई, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये विपक्षीगण अनुपस्थित

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 14:17:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 22/23 प्रा०प०

1– श्री रामलाल s/o श्री मधु गाडरी निवासी–लांगरो का खेड़ा तहसील–मांडल (बगैरा)

–प्रार्थी

बनाम

1– श्रीमती सायरी w/o नाथू गाडरी निवासी–लांगरो का खेड़ा तहसील–मांडल [बगैरा]
(संलग्न सूची अनुसार)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 08.05.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लांगरो का खेड़ा उर्फ अम्बापुरा पटवार हल्का धुंवाला तहसील माण्डल में उसके खांते /संयुक्त खाते की आराजी न0 संलग्न सूची अनुसार कुल किता 13 रकबा 2.8610 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30.01.23 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लांगरो का खेड़ा पटवार हल्का धुंवाला तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. संलग्न सूची पर अंकित कुल किता 13 रकबा 2.8610 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डल को 1200/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 14:17:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

आराजी नं.		रकबा
1505	-	0.3667
1508	-	0.0632
1509	-	0.1138
1510	-	0.2656
1513	-	0.2656
1502	-	0.2276
1504	-	0.4047
1514	-	0.3667
1503	-	0.0885
1511	-	0.0506
1506	-	0.2909
1512	-	0.2529
1507	-	0.1012

कुल किता 13- रकबा 2.8610 हेक्टेयर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 14:17:34 IST
Reason: SelfAttested